निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 39

5 कार्तिक 1943 (श0)
पटना, बुधवार,
27 अक्तूबर 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	11-13

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सं0 15/पी 5–16/2019––2134
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 7 अक्तूबर 2021

विषय :– बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के 7 (सात) पद एवं संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के 13 (तेरह) पद अर्थात् कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत पदों के सृजन का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन था। सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के लिए नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के 7 (सात) पद एवं संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के 13 (तेरह) पद अर्थात् कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2. स्वीकृत किए जा रहे पदों का विवरण निम्नवत् है :–

(i) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् में नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी के पद सृजन की विवरणी

क्र0	पद का नाम	पद की संख्या	वेतन स्तर
1	Joint Secretary (BAS/BES)	1	Level 13
2	OSD- Academic (University Service)	1	Level 13A
3	Deputy Secretary- Admin (BES or Through Lateral Entry)	1	Level 11
4	Deputy Secretary- Projects (BES or Through Lateral Entry)	1	Level 11
5	Deputy Secretary- Coord (BES or Through Lateral Entry)	1	Level 11
6	Academic Officer - (University Service)	2	Level 10
	कुल पद	**7**	

(ii) राज्य स्तर पर संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पद

क्र0	पद का नाम	पद की संख्या	नियत वेतन
1	Legal Officer	1	75,000
2	IT Manager	1	52,000

3	Data Analyst	1	42,000
4	Legal Executive	1	30,000
5	Accountant	1	25,500
6	Executive Assistant	8	25,500
	Total	**13**	

3. नियमित/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु 07 (सात) पदों के सृजन में वार्षिक व्यय भार रू0 99,80,256/– (निन्यानबे लाख अस्सी हजार दो सौ छप्पन) मात्र तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 13 (तेरह) पदों के सृजन पर वार्षिक वित्तीय व्यय भार रू0 51,42,000/– (इक्यावन लाख बयालीस हजार) मात्र अर्थात कुल मिलाकर 20 (बीस) पदों के सृजन में लगभग रू0 1,51,22,256/– (एक करोड़ इक्यावन लाख बाईस हजार दो सौ छप्पन) मात्र वार्षिक व्यय संभावित है।

4. इन पदों के सृजन के प्रस्ताव एवं संविदा आधारित पदों के मानदेय के संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
अरशद फिरोज, उप–सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

18 अक्तूबर 2021

सं0 15/एम 1–228/2012–2264––चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के नियमावली की कंडिका की 5(6) के प्रावधानानुसार वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र एवं अन्य अभिरूचि से चार व्यक्तियों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा निम्न रूप से किया जाता है :–

1. निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना।
2. निदेशक, अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।
3. प्रबंध निदेशक, बियाडा, बिहार, पटना।
4. निवेश आयुक्त, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप–सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्तूबर 2021

सं0 6/गो0–34–05/2016(खण्ड–1)–2061––वाणिज्य–कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम
1	**2**	**3**	**4**
1	श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, वसूली कोषांग, पटना केन्द्रीय प्रमंडल	गया	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री अनिल कुमार साह, राज्य–कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।	सीवान	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
3	श्री राजेश कुमार, राज्य–कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना।	पटना	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

6 अक्तूबर 2021

सं0 6/वि0पत्रा0–24–48/2014–2055/वा0कर–बिहार वित्त सेवा के श्री प्रवीण कुमार, राज्य–कर उपायुक्त की Goods and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2021 से 13.10.2022 तक के लिये विस्तारित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

———————

परिवहन विभाग

———————

अधिसूचनाएं

11 अक्तूबर 2021

सं0 04/STA-(विविध)–30/2016, परि0–6447––मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a) के आलोक में अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018 द्वारा अधिसूचित मार्गों को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना के कंडिका–2 के आलोक में अबतक अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग के अतिरिक्त अनुलग्नक–क(iv) के रूप में कुल 02 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को सम्मिलित करते हुए जोड़ा जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68(3)(c-a) के अनुपालन में चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :–

क्र0	रूट कोड	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि0मी0)	संबंधित क्षे0प0 प्राधिकार
1	5319	बनरझूला से मधुबनी	अमही, मेनही, देवनाथपट्टी, हटनी, किसनीपट्टी, घोघरडीहा, बेलहा, गोरगामा, फुलपरास, ब्रह्मपुर, सिजौलिया, गाराटोल, कोनार, खोपा, झंझारपुर(मोहना), मेहथ, भगवतीपुर, रामपट्टी, मधुबनी	मधुबनी से बनरझूला	मधुबनी, रामपट्टी, भगवतीपुर, मेहथ, झंझारपुर(मोहना), खोपा, कोनार, गाराटोल, सिजौलिया, ब्रह्मपुर, फुलपरास, गोरगामा, बेलहा, घोघरडीहा, किसनीपट्टी, हटनी, देवनाथपट्टी, मेनही, अमही,		दरभंगा
2	5320	भेजा से मधुबनी	रहुआ संग्राम, नवादा, लक्ष्मीपुर चौक, मधेपुर, महिसाम, बाथ, तरडीहा, सुन्दर, चिकना, केवटना, सुदैई, खोपा, संग्राम, अररिया, झंझारपुर(मोहना), मेहथ, भगवतीपुर, रामपट्टी, मधुबनी	मधुबनी से भेजा	मधुबनी, रामपट्टी, भगवतीपुर, मेहथ, झंझारपुर(मोहना), अररिया, संग्राम, खोपा, सुदैई, केवटना, चिकना, सुन्दर, तरडीहा, बाथ, महिसाम, मधेपुर, लक्ष्मीपुर चौक, नवादा, रहुआ संग्राम		दरभंगा

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

25 अक्तूबर 2021

सं0 02/शमन–07(A)/2015, परि0–6660––यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–2753, दिनांक 14.05.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित–मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित–मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा–201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक–23.04.2021 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।

अतः उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 23.10.2021 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए **मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित–मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा–201** के तहत् शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र0 सं0	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्तूबर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(द0) दर0-07/2020-594176---श्री महेश चन्द्र, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केवटी, दरभंगा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध केवटी प्रखंड के बरही पंचायत में मुख्यमंत्री जल-नल योजना में बरती गयी अनियमितता से संबंधित अभिलेख स्मारित करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराने के आरोप पर क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-3126 दिनांक 04.11.2020 द्वारा श्री चन्द्र के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

तत्संबंध में श्री महेश चन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । इनके द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया कि संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य द्वारा ससमय अभिलेख समर्पित नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अभिलेख उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ।

श्री महेश चन्द्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चन्द का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः श्री महेश चन्द्र, तत्कालीन सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केवटी, दरभंगा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को अभिलेख उपलबध कराने में विलम्ब के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

राज्यपाल **के आदेश से,**
बालामुरूगन डी0, सचिव।

6 अक्तूबर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) नालन्दा (लोक शि0)-02/2021-592646--श्रीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालन्दा के विरूद्ध विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, के पत्रांक-622 दिनांक 09.02.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है । आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईओं में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्रीमती गीता से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित है कि श्री कामेश्वर राम प्रखंड कृषि पदाधिकारी-सह-प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी एकंगरसराय को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवादों के सुनवाई में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जो उपस्थित नहीं हुए।

श्रीमती गीता के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती गीता का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अत: श्रीमती गीता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालन्दा के विरूद्ध कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती गीता के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल **के आदेश से,**
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

27 सितम्बर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(मुं0)लखी0-02/2019-581000--श्री अभिषेक कुमार प्रभाकर (अनु0क्र0-207560), तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा, लखीसराय के विरूद्ध ग्राम पंचायत राज श्रीकिशुन, प्रखंड-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय में हर घर नल का जल योजना में 21,11,100/- (इक्कीस लाख ग्यारह हजार एक सौ रूपये) गलत खाता में हस्तांतरित होने के उपरांत राशि वापस करने के प्रति संवेदनशील नहीं रहने एवं ग्राम पंचायत, टोरलपुर में लगभग 8 माह तक 49,27,474 (उन्चास लाख सताईस हजार चार सौ चौहत्तर रूपये) अवैध तरीके से अग्रिम के रूप में निकाली गई राशि को वापस लेने हेतु लापरवाही बरतने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-619 दिनांक 09.06.2020 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रभाकर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रभाकर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने अस्थायी रूप से गबनित राशि सरकारी खाते में वापस लेने में शिथिलता बरती है।

अत: सम्यक विचारोपरांत श्री प्रभाकर को विभागीय अधिसूचना संख्या-434334 दिनांक 05.04.2021 द्वारा चेतावनी का दंड़ अधिरोपित किया गया । अधिरोपित दंड पर श्री प्रभाकर द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया । जांच प्रतिवेदन एवं लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि पुनर्विलोकन आवेदन में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है। अतएव पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

29 सितम्बर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) रोहतास (लो0शि0)-04/2021-582058--श्री पवन कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूर्यपुरा, रोहतास के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, के पत्रांक-622 दिनांक 09.02.2020 द्वारा आरोप प्राप्त है । आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सूनवाईओं में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित है कि कोविड-19 की जाँच कराई गई थी जिसकी 23.11.2020 को रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि मैं कोविड पोजेटिव हूँ, जिसके कारण दिसम्बर माह के सुनवाई की तिथि में उपस्थित नहीं हो सका ।

श्री ठाकुर के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ठाकुर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

अतः श्री पवन कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सूर्यपुरा, रोहतास सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, खिजरसराय, गया को आरोप से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

राज्यपाल **के आदेश से,**
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

29 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)-02/2021-582014--श्री कुन्दन कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-102 दिनांक 22.12.2020 द्वारा आरोप प्राप्त है । आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अनन्य संख्या 435110112022006310 में श्री अनुज चौधरी, ग्राम-अगन्धा, पंचायत-अगन्धा, प्रखंड-बेलागंज, गया द्वारा दायर परिवाद बैंक द्वारा मानदेय की राशि भुगतान करने के संबंध में दिया गया था। परिवाद लोक प्राधिकार-सह-अग्रणी जिला प्रबंधक, गया से संबंधित है।

श्री कुमार के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है।

श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः श्री कुन्दन कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के विरूद्ध कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

राज्यपाल **के आदेश से,**
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

29 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)-02/2021-581966--श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-102 दिनांक-22.12.2020 द्वारा आरोप प्राप्त है। उक्त में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त है। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु मतदाता सूची विखंडीकरण कार्य (दिनांक 14.12.2020 से 28.12.2020) एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाई में अनुपस्थित थे।

श्री सिन्हा के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि दिनांक 19.12.2020 की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है।

श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोराडीह, भागलपुर के विरूद्ध कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सिन्हा के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

16 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(सा०)सा०-02/2020-568524--श्री पंकज कुमार दीक्षित, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 02(मुं0)/सी दिनांक 06.06.2020 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री दीक्षित के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों में रूचि नहीं लेने, COVID-19 के संक्रमण को रोकने संबंधी कार्यों में वरीय पदाधिकारी को प्रशासनिक सहयोग प्रदान न करने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत् दायर परिवादों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत नल-जल योजना एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना की प्रगति में रूचि नहीं लेने के आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री दीक्षित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 4662 दिनांक 23.11.2020 से प्राप्त मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-373286 दिनांक 29.01.2021 द्वारा श्री दीक्षित को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री दीक्षित के निलंबन अवधि साढ़े सात माह से अधिक होने एवं इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2021 पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री दीक्षित को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव श्री दीक्षित को निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन से मुक्ति के पश्चात श्री दीक्षित मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

विभागीय कार्यवाही के आदेश का फलाफल श्री दीक्षित पर प्रभावी होगा।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

29 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)-02/2021-581940--श्री श्याम कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-102 दिनांक 22.12.2020 तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-51 दिनांक 08.01.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है। उक्त में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वाद की सुनवाई की अवधि में उनकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्य कोरोना Positive थे जिससे वे क्वारंटाईन में चले गए जिसके कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

श्री कुमार के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है।

श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः श्री श्याम कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार के विरूद्ध कड़ी चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

राज्यपाल **के आदेश से,**
बालामुरूगन डी०, सचिव।

आदेश
4 अक्तूबर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(ति0)मु0- 03/2019-587828--श्री सिद्धार्थ कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1443 दिनांक 21.12.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने एवं पूर्व में आवास का लाभ मिल जाने के पश्चात पुनः दोबारा उसी व्यक्ति को आवास का लाभ दिये जाने के आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

आरोप पत्र में संधारित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोप पत्र में धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालन का निर्णय लिया जाता है।

एतदर्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के प्रावधानों के तहत श्री सिद्धार्थ कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश परिमल, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा नामित जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे ।

आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान

कार्यालय आदेश
30 सितम्बर 2021

सं0 1/स्था0अनु0–12–106/2019:–39/सिवान––जिला अनुकम्पा समिति –सह– जिलाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2021 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति, बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक **75 मु0/स्था0, छपरा, दिनांक 17.06.2021** एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्र संख्या– 827/स्था0 दिनांक 09.08.2021 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में **श्री लीला कुमार झा, माता– स्व0 बेली देवी, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, सारण नहर अंचल, छपरा** को अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेवेल–**I (18000 – 56900) ग्रेड पे–1800** रूपये एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित **कार्यालय परिचारी** (वर्ग–04) के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान **अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा** के कार्यालय में दिनांक **25.10.2021** तक देना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. इनकी वरीयता नियुक्ति तिथि के पूर्व तैयार की गई वरीयता सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. **स्व0 बेली देवी** के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व **श्री लीला कुमार झा** पर होगा। यदि मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण–पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला **छपरा (सारण)** के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. स्वीकृत रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियमानुसार रोस्टर बिन्दु अग्रगणित किया जा सकेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. गलत कागजात/अभिलेख के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने की सूचना प्रकट होने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के पश्चात् पुनः अनुकम्पा का लाभ लेते हुए संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगा।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya

Order

The 20th October 2021

No. XI-K–रा०–01/2019–3371––In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no. 666, dated- 22.09.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl.	Officer Name	Designation	Remarks
1	Sri Rajiv	District Panchayat Raj Officer, Gaya	For Gaya District
2	Sri Nand Kishor Chaudhary	DCLR, Sadar, Gaya	For Sub Division, Sadar, Gaya
3	Sri Rajesh Kumar	Executive Magistrate, Sadar, Gaya	For Sub Division, Sadar, Gaya

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 07.10.2021

By Order,
(Sd.) Illegible, Secrectary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)दर0-02/2021--584460

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

30 सितम्बर 2021

श्री प्रदीप कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर-घर नल का जल एवं गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता के आरोप में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 204/जि0पं0 दिनांक 27.01.2021 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री झा से स्पष्टीकरण प्राप्त है।

आरोप पत्र में संधारित आरोपों एवं श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोप पत्र में धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिनके विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

अतएव विभाग द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया जाता है।

एतदर्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के प्रावधानों के तहत श्री प्रदीप कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राधा किशोर झा, सेवानिवृत विशेष सचिव-सह-सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री झा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

सं0 ग्रा0वि0-14(भा0) भा0- 01/2021-584471

---

30 सितम्बर 2021

श्री चन्द्रभूषण गुप्ता, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति-ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-15 प्र0 दिनांक 23.02.2021 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री चन्द्रभूषण गुप्ता के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करते हुये गैर बी0पी0एल0 सूची से अप्रात्र लाभुकों को आवास स्वीकृत कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका का घोर उल्लंघन एवं पदीय दायित्व का घोर दुरूपयोग से संबंधित आरोप धारित है ।

जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री चन्द्रभूषण गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोप पत्र में संधारित आरोपों एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोप

पत्र में धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं । अतः आरोप की गहन जाँच हेतु श्री चन्द्रभूषण गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदालोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत श्री चन्द्रभूषण गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश परिमल, उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है । जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री चन्द्रभूषण गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–16/2014––8703

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

7 अक्तूबर 2021

श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर अतिरिक्त प्रभार उपकारा, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके उपकारा, बक्सर के अतिरिक्त प्रभार के दौरान दिनांक 14.06.2014 को उपकारा, बक्सर से चार बंदियों के पलायन की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 949 दिनांक 11.02.2015 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1719/स्था0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. इसी बीच दिनांक 31.01.2021 को श्री चौधरी सेवानिवृत्त हो गयें। फलतः विभागीय आदेश ज्ञापांक–1281 दिनांक 10.02.2021 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि–31.01.2021 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(2) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 2252 दिनांक 08.03.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं पर श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 18.03.2021 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपकारा, बक्सर और केन्द्रीय कारा, बक्सर 02 किलोमीटर के दायरे के बाहर शहर के विपरीत कोणों पर अवस्थित है। इसके मध्य मुख्य शहरी बाजार का व्यस्ततम् क्षेत्र है। उनका आवासन केन्द्रीय कारा स्थित सरकारी आवास में था। उपकारा में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्रीय कारा परिसर से घटनास्थल पर तुरन्त पहुँच कर नेतृत्व व परिस्थितिजन्य आदेश द्वारा नियंत्रण में कठिनाई थी। अधीक्षक को धारित उपकारा के दैनन्दिनी कर्त्तव्यों के भी ससमय संचालन में केन्द्रीय कारा से दूरी होने के कारण कठिनाई थी। बिहार कारा हस्तक नियम 793 (ii) में यह प्रावधानित है कि ''अधीक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक प्रभारी होंगे''।

श्री चौधरी का कहना है कि कारा हस्तक में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिला मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में ही अधीक्षक प्रभार सुपुर्द करेंगे, बल्कि कई ऐसे प्रावधान हैं कि जिससे यह स्थापित होता है कि काराधीक्षक की कारा परिसर में उपस्थिति अपरिहार्य है। उनका कहना है कि बिहार कारा हस्तक के नियम 19 द्वारा प्रत्येक कारा के लिए एक अधीक्षक के पदस्थापन का प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण नियमावली में अधीक्षक को अतिरिक्त प्रभार में प्राधिकृत करने की व्यवस्था नहीं है और न ही जिलाधिकारी को ऐसे प्रभार आवंटित करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। कारा की संवेदनशीलता के आलोक में ही संभवतः बिहार कारा हस्तक के नियम–4 (xxxv) में यह प्रावधान किया गया है कि कारा का प्रभारी पदाधिकारी (Officer-in-charge of Prison) वही होगा जो कारा पदाधिकारी कारा कार्यालय में उपस्थित होगा। उक्त के आलोक में नियम–793

(ii) के प्रावधानानुसार ही उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में प्रभार उपाधीक्षक को सुपुर्द किया था, जो कि प्रशासनिक हित में विधिसम्मत् है।

6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, असहमति के अभिलेखित बिन्दु एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्री चौधरी का यह कहना कि उपकारा, बक्सर और केन्द्रीय कारा, बक्सर शहर के विपरीत कोणों पर अवस्थित है तथा उनका सरकारी आवास केन्द्रीय कारा, बक्सर में था, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्रीय कारा से घटनास्थल पर तुरन्त पहुँच कर कार्रवाई करने में कठिनाई थी, किन्तु श्री चौधरी द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि वे दिनांक 30.05.2014 को उपकारा, बक्सर के अधीक्षक का प्रभार ग्रहण के बाद दिनांक 01.06.2014 को उपकारा, बक्सर में 7:10 बजे प्रवेश कर 8:00 बजे बाहर आये थे। इस प्रकार उसके बाद दिनांक 14.06.2014 को 04 बंदियों के पलायन के उपरांत वे दोबारा उपकारा, बक्सर गए थे। उपकारा, बक्सर में प्रवेश के समय में तथा गेट पंजी के प्रवेश के समय में पायी गई भिन्नता के संबंध में श्री चौधरी द्वारा पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि दिनांक 01.06.2014 को 7:10 बजे वास्तव में वे केन्द्रीय कारा, बक्सर में प्रवेश किये थे। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण एवं उपकारा, बक्सर के गेट पंजी में अंकित समय में भिन्नता का कारण टंकण भूल बताया है। उपकारा, बक्सर के गेट पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वे दिनांक 01.06.2014 को 5:25 बजे उपकारा, बक्सर में प्रवेश किये थे एवं 7:15 बजे उपकारा, बक्सर से बाहर आ गये थे। ऐसी स्थिति में 7:15 बजे उपकारा, बक्सर से बाहर आकर 7:10 बजे केन्द्रीय कारा, बक्सर में प्रवेश का उनका दावा तर्कसंगत नहीं है। यदि उनकी बात मान भी ली जाय तो दिनांक 01.06.2014 को मात्र 01 घंटा 50 मिनट के लिए वे उपकारा, बक्सर आये थे एवं उसके बाद 04 बंदियों के पलायन की घटना के उपरान्त दिनांक 14.06.2014 को उपकारा, बक्सर में दोबारा प्रवेश किये।

श्री चौधरी का कहना है कि बिहार कारा हस्तक–2012 के नियम–793 (ii) के अनुसार अधीक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक प्रभारी होंगे। किन्तु श्री चौधरी तत्समय अनुपस्थित नहीं थे बल्कि उन्हें उपकारा, बक्सर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बिहार कारा हस्तक–2012 के नियम–797 (ii) में विहित प्रावधान के अनुसार अधीक्षक को कारा में प्रतिदिन भ्रमण करने का दायित्व है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु में असहमति का विशिष्ट कारण अंकित करते हुए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी थी। श्री चौधरी द्वारा असहमति के बिन्दु पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतः श्री चौधरी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ए) के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

" देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड (05) पाँच वर्षों के लिए "।

8. **उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4127 दिनांक 19.05.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1870 दिनांक 22.09.2021 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

9. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर अतिरिक्त प्रभार उपकारा, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

" देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड (05) पाँच वर्षों के लिए "।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 28—571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in